भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 111

बुधवार, 18 जुलाई, 2018/27 आषाढ़, 1940 (शक)

श्रम संबंधी कानूनों का सरलीकरण

111. डा. संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बार-बार यह दावा किया है कि श्रम संबंधी कानूनों का सरलीकरण कर लिया गया है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा से लेकर अन्य से संबंधित एक भी विधेयक पारित नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतनी अधिक संख्या में विधेयकों के पुर:स्थापन न होने पर विचार करते हुए सरकार श्रम क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए विधायी प्रणाली के साथ-साथ अधिशासी तंत्र को अद्यतन करने के साथ-साथ इन्हें उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुसार अधिक प्रभावी, लोचनीय और समसामयिक बनाती है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा श्रम कानूनों को कार्यात्मक आधार पर व्यापक रूप से चार या पाँच संहिताओं में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तदनुसार, मंत्रालय ने केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों का सरलीकरण, समामेलन करके तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाकर मजदूरी संबंधी चार श्रम संहिताओं का मसौदा तैयार करने के उपाय किए हैं जो क्रमश: औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं के संबंध में हैं। इनमें से मजदूरी संबंधी श्रम

जारी---2/-

संहिता को लोक सभा में दिनांक 10.08.2017 को पुर:स्थापित किया गया और तदुपरांत इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है। शेष संहिताएं पूर्व विधायी परामर्शी स्तर पर हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक विधायी तथा प्रशासनिक पहलें की हैं। महत्वपूर्ण पहलों में से कुछ निम्नानुसार हैं:

- बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से बोनस के भुगतान हेतु पात्रता सीमा को 10,000/-रुपये से बढ़ाकर 21,000/-रुपये प्रतिमाह तथा परिकलन सीमा को 3500/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7000/-रुपये प्रतिमाह अथवा न्यूनतम मजदूरी किया गया है।
- मजदूरी (संशोधन) संदाय अधिनियम, 2017 कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान नकद अथवा चेक अथवा उनके बैंक खातों में सीधे जमा कराने हेतु समर्थकारी बनाता है।
- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिषेध का प्रावधान है।
- प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम, 2017 में सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।
- कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम शास्तियों को युक्तिसंगत बनाता है और अधिनियम के अंतर्गत कामगारों के अधिकारों को सुदृढ़ करता है।
- उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018 केन्द्र सरकार को सर्वप्रथम उपदान की उच्चतम सीमा को समय - समय पर अधिसूचित की जाने वाली राशि तक बढ़ाने की छूट प्रदान करता है और महिला कर्मचारियों के मामले में जो समय - समय पर अधिसूचित की जाने वाली समय अवधि के लिए प्रसूति अवकाश पर हों, उनके उपदान के लिए सतत सेवा की गणना के संबंध में वृद्धि का प्रावधान करता है। तदनुसार, उपदान की उच्चतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये किया गया है और गणना हेतु प्रसूति अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।
- सरकार द्वारा 16.10.2014 को श्रम सुविधा पोर्टल आरंभ किया गया जो श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक पारदर्शी जोखिम आधारित ऑनलाइन श्रम निरीक्षण सेवा का संचालन करता है।

*****